

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग**  
**महत्वपूर्ण सूचना**

**सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति**

पथ निर्माण विभाग के आदेश संख्या-प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2017-6200 (एस) डब्लू०ई० दिनांक 13.08.2018 द्वारा 190 अभ्यर्थियों की बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध योगदान करने की तिथि से संविदा के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों में से कई अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनकी नियुक्ति रद्द कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। प्रतीक्षा सूची के निम्नलिखित अभ्यर्थियों का GATE Score/प्रमाण-पत्र का सत्यापन नहीं हो पाया है :-

क्र० सं०	प्रतीक्षा सूची क्र०सं०	आवेदन आई०डी०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	अभियुक्ति
1.	12	AEC/0001795	गजराज सिंह राजपुत	श्री राय सिंह राजपुत	VILL-GOKALPUR, POST-PADLYDAN, PEHSIL- PACHORE, DISTRICT-RAJGARH (MP)-465680.	GATE Score का Online सत्यापन नहीं हो सका है।
2.	87	AEC/0001042	दीपक कुमार मंडल	श्री सुनिल कुमार मंडल	VILL-FARKA, P.O-FARKA, P.S-SABOUR, DIST-BHAGALPUR, BIHAR-813210	मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3.	131	AEC/0002775	संजना सिंह	श्री विनोद कुमार सिंह	MAJHAUWAN, ARA, BHOJPUR, BIHAR-802301.	GATE Score का Online सत्यापन नहीं हो सका है।

फलस्वरूप उक्त अभ्यर्थियों को पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु Counselling कार्यक्रम दिनांक 22.10.2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 1:00 बजे अपराह्न तक उप निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, बिहार, पटना में निर्धारित की गई है।

- (i). उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित अभ्यर्थी को उनके द्वारा Upload किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सत्यापन कराना होगा।
- (ii). उक्त प्रमाण-पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को इसके लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों की अहर्ता के संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- (iii). Counselling के क्रम में अभ्यर्थी को अपने Gate Score का Online Verification कराना अनिवार्य होगा।
- (iv). Counselling हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
- (v). उक्त प्रमाण-पत्रों का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- (vi). संबंधित अभ्यर्थी अपना पहचान-पत्र साथ लायेंगे।


2. उपरोक्त विभागीय आदेश द्वारा नियुक्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों द्वारा कॉलम-4 में अंकित तिथि तक कतिपय कारणों से योगदान हेतु समय-विस्तार का अनुरोध किया गया है :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पता	आवेदन संख्या	वांछित अवधि-विस्तार की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजीव कुमार	श्री मिश्री चौहान	S/O-MISHRI CHAUHAN, VILL-LAXMIPUR, PO-MAPHO, PS-MEHUS, DIST-SHEKHPURA, BIHAR-811102	AEC/0001067	20.09.2018
2.	श्री निशांत कुमार	श्री रंजीत प्रसाद	NARAYAN NIWAS, OPP-LOYOLA HIGH SCHOOL, KURJI, PATNA, BIHAR-800010	AEC/0002157	समय-सीमा अंकित नहीं
3.	श्री विनय शील गौतम	श्री रामदेव प्रसाद	C/O-RAMDEO PRASAD, WARD NO-3, WEST FROM P.H.E.D MADHEPURA BIHAR-852113.	AEC/0001940	17.09.2018

2

उक्त अवधि विस्तार हेतु वांछित तिथि तक उक्त अभ्यर्थियों द्वारा योगदान समर्पित नहीं किया गया।

अतः उक्त अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि सूचना निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी।



(रत्नेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

39